



न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

26

मु0न0

ता0रजू

निर्णय दिनांक

06/2017

06.02.2017

27-3-17

पीठासीन अधिकारी:- रघुनाथ खटीक {आर.ए.एस}

1. सीताराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

वादी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादी

वादी की ओर से श्री रामकेश मीना एडवोकेट

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर टी एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद पत्र दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर0 टी0 एक्ट का प्रस्तुत किया है जिसका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है कि वादी एवं सुशीला, मीनाक्षी, व बदाम ने आनन्दी लाल पुत्र उँकारमल रैगर जाति रैगर निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर से उसकी कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 1.26 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया जिसका 4/5 हिस्सा जरिए नामान्तरण संख्या 578 दिनांक 20.04.2010 खुलकर संयुक्त रूप से बराबर-बराबर हिस्सा 4/5 की खातेदारी हो गई और मुताबिक खातेदारी सभी अपनी-अपनी भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने-अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। वादी एवं अन्य खातेदारों ने अपनी-अपनी खरीद शुदा आराजी का आपस में तकासमा कर लिया कर लिया जिसका नामान्तरण संख्या 586 दिनांक 09.12.2010 बंटवारा होकर पृथक-पृथक खातेदारी हो गई। मुताबिक बंटवारे के वादी के नाम खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदारी हो गई तथा जमाबंदी में अंकन हो गया। वादी ने अपने कब्जे काशत व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26 है0 में से 0.25 है0 अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि का आबादी भूमि में संपरिवर्तन करवाया जिसका नामान्तरण संख्या 617 दिनांक 25.05.2011 तस्दीक किया गया जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 जब तैयार की गई तो उक्त जमाबंदी में खसरा न0 5485/2478 रकबा 0.01 है0 की तो खसरा न0 अंकित कर दी गई लेकिन खसरा नम्बर 5506/5485 रकबा 0.25 है0 को राजस्व कर्मचारियों की गलती से सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया जबकि 0.25 है0 की भी वादी के नाम ही खातेदारी अंकित की जानी चाहिए थी। वादी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई इस

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

कमशः.....

गलती की कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 21.08.2015 को वादी अपने कब्जे काशत व खातेदारी की उक्त भूमि की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तो पता चला की वादी की कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26है0 मे से खसरा नम्बर 5506/5485 रकबा 0.25है0 सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज है। जबकि वास्तविक रूप से 0.25है0 की वादी के नाम खातेदारी होनी चाहिए थी। इस पर वादी ने पटवारी हल्का से इसे दुरुस्त करने को कहा तो पटवारी हल्का ने बताया की न्यायालय मे वाद दायर कर दुरुस्त कराओ इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26है0 मे से खसरा नम्बर 5506/5485 रकबा 0.25है0 की अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये तथा इस रकबे मे से आबादी भूमि मे परिवर्तन करवाये गये खसरा 5506/5485 रकबा 0.25है0 की आबादी भूमि जो गलत अंकित हो गई है। की अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवाये तथा सम्पूर्ण रकबा मे अपने नाम की खातेदारी अंकित करवाये बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा होना लाजिम आया है। सरकार के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व विधिवत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी की उक्त भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया है। इस कारण ग्राम पंचायत वादी की उक्त भूमि मे पट्टे काटकर बेचान कर सकती है इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। घोषणा इस अमर की फरमाई जावे की वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26है0 मे से रकबा 0.25है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदार है। खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26है0 मे से 0.25है0 अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि आबादी मे संपरिवर्तन करवाने से राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी को हजफ फरमायी जाकर वादिया के नाम 0.25है0 अर्थात 2500 वर्ग मीटर की खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड एंव रिकार्ड ऑफ राइट्स को दुरुस्त फरमाया जावे ।

वकील वादिया की बहस सुनी गई। वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस की कि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26है0 मे से रकबा 0.25है0 को गै0मु0 आबादी मे संपरिवर्तन करवाया था जिसका जरिये नामान्तकरण उक्त संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी मे दर्ज कर दिया जिससे वादी की खातेदारी भूमि समाप्त हो गयी। संपरिवर्तन भूमि सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी मे दर्ज हो जाने के कारण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा भूमि के पट्टे काट सकती है जिससे वादिया को नुकसान होने की पूर्ण सम्भवाना है अतः वादी के नाम उक्त रकबे की खातेदारी दर्ज करते हुए किस्म गै0मु0 आबादी करने हेतु दावा डिकी करने के आदेश फरमाये जावे।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

कमरा:.....

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26 है० में से रकबा 0.25 है० अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि का इस कार्यालय से गै० मु० आबादी में संपरिवर्तन करवाया गया था नामान्तकरण तस्दीक होने पर उक्त संपरिवर्तन भूमि के नये खसरा न० 5506/5485 रकबा 0.25 है० बने है जिसके नामान्तकरण संख्या 621 दिनांक 25.05.2011 से संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै० मु० आबादी में दर्ज कर दिया गया इससे वादी की खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। संपरिवर्तन भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी रखते हुए किस्म गै० मु० आबादी में दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

कियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल बी में हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2070-73 में दर्ज खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26 है० में से रकबा 0.25 है० (2500 वर्ग मीटर) सिवाय चक बिला लगानी गै० मु० आबादी नामान्तकरण के दौरान दर्ज कर दिया गया उक्त संपरिवर्तन आदेश के नामान्तकरण खुलने पर खसरा न० 5506/5485 रकबा 0.25 है० है। जिसको खाता संख्या 1 से हजफ कर वादी सीताराम पुत्र बालूराम जाति रेगर निवासी चौथ का बरवाडा के नाम खसरा नम्बर 5485/2478 रकबा 0.26 है० में से खसरा नम्बर 5506/5485 रकबा 0.25 है० (2500 वर्ग मीटर) किस्म गै० मु० आबादी की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28/9/12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रघुनाथ खटीक)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा